न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 397/16 **निर्णय दिनांकः– 27.08.2018**

1. नखत सिंह
2. लक्ष्मण सिंह
3. देवीसिंह

पुत्रगण स्व. डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी पंवारवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

4. बाधुकंवर पत्नि स्व. डूंगरसिंह

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रामचन्द्र पुत्र नृसिंहराम जाति माली निवासी पुरानी गिन्नाणी केसरदेसर कुऍ के पास, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 13–05–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 13–05–2002 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट को टीसी से पुख्ता आवंटन की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 22 नियम 3 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट डूँगरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 28—06—2016 को हो चुका है। अतः डूँगरसिंह के स्थान पर उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर बतौर अपीलांट पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान कराते हुए स्वतः अबेटमेंट निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता बतौर अपीलांट दर्ज थे व उनके द्वारा ही वकील मुकरर किया हुआ था, प्रार्थीगण को उक्त अपील की कतई जानकारी नहीं थी ना ही वकील के नाम की जानकारी थी। काफी खोजबीन के पश्चात् जानकारी प्राप्त होने के पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया व कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। चूंकि प्रार्थीगण गरीब, अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति है। जिन्हें कानून की पेचिदगियों को बारे में कतई जानकारी हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में सही समय पर वारिस रिकार्ड पर नहीं आ पाये थे। अतः प्रार्थी को रिकार्ड पर लेते हुए स्वतः अबेट निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने गुणावगुण पर अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 01—03—1997 को वादगत् भूमि चक 1 एमडीएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 202/43 में 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 202/35 के किला नम्बर 16, 17 तादादी 2 बीघा, 22 ता 25 तादादी 4 बीघा इस प्रकार कुल 21 बीघा भूमि टीसी से पुख्ता की गई। अपीलांट का टीसी आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त है व मौके पर अपीलांट ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बाला—बाला की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड भूमि थी तथा आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व संबंधित पटवारी से मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि तत्समय मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो प्रकरण में यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के टीसी से पुख्ता आवंटन पर गौर किये बिना व उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त रकबा गैर कानूनी रूप सें आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी पर प्रतिउत्तर बहस में बताया कि अपीलांट डूॅगरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 28—06—2016 को हो चुका है। अपीलांट द्वारा उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 03—04—2017 को

न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो करीब 10 माह पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वतः अबेट हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये गये है। कानून की यह मंशा है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। लिहाजा अपीलांट की अपील इसी बिन्दु पर खारिज योग्य होने से अपीलांट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा सबूत प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में दिनांक 25—11—1987 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें।

तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उक्त रिमाण्ड प्रकरण के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कमाण्ड भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अनकमाण्ड भूमि आवंटन कराने का विकल्प कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अनकमाण्ड भूमि आवंटन कराने हेतु विकल्प पेश किया तथा भविष्य में कमाण्ड भूमि की मांगी नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि चक 1 एमडीएम 'ए' के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया उक्त तिथि को वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा आराजीराज होने पर ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी भी प्राप्त कर ली गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के आवंटन को

चेलेंज करने के बताया खातेदारी निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जबकि अपीलांट द्वारा अपने टीसी आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट द्वारा अपील दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को वादगत् भूमि का नियमन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन के पश्चात् नियमानुसार वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम रिकार्ड में अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस प्राप्त नहीं है। वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियामनुसार आवंटन नियमों की पालना करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित होगा। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट डूँगरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 28—06—2016 को होने के उपरान्त प्रार्थी अर्थात डूँगरसिंह के जायज वारिसान द्वारा दिनांक 03—04—2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र 90 दिवस की अवधि के भीतर—भीतर प्रस्तुत किया जाना होता है। चूंकि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु रेस्पोडेन्ट को आक्यूपाईड लैण्ड के किये गये आवंटन का है ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना बेहतर

समझती है। न्याय की भी यह मंशा रही है जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ तकनीकी बिन्दु पर अपील का निस्तारण किये जाने के बजाय प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाता है व डूँगरसिंह के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील विवादित आराजी चक 1 एमडीएम 'ए' के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन के विरूद्व प्रस्तुत की गई।

(3) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी आवंटन की गई थी तथा उक्त टीसी आवंटन दिनांक 01—03—1997 को टीसी से पुख्ता की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। वादगत् भूमि टीसी आवंटन के समय से ही उसके कब्जे काश्त में चही आ रही है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन की दिनांक को आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी।

(4) इस संबंध में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के आवंटन पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि थी। परन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट को उसके टीसी आवंटन चक 1 एमडीएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 202/35 में 6 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 202/43 में 15 बीघा कुल 21 बीघा भूमि की एवज में विनिमय में चक 17 बीएम के मुरब्बा नम्बर 49/10 में 12 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने टीसी आवंटन की एवज में अन्यत्र भूमि प्राप्त कर चुका है।

(5) प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन का प्रश्न है, अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन वादगत् भूमि मौके पर खाली होने व अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है।

(6) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक वादगत् भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रश्न है, टीसी से किये गये आवंटनों को तभी पुख्ता किया जाता है जबकि आवंटी का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हो। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के टीसी आवंटन होने का कथन तो किया जा रहा है, परन्तु वादगत् भूमि पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रहा हो। जबकि दोहरे आवंटन प्रपत्र के अनुसार भूमि मौके पर खाली बताई गई। जिससे साबित है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट अपने टीसी आवंटन को पुख्ता कराने का पात्र धोषित नहीं किया जा सकता।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार भी हासिल कर लिये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—05—2002 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर